नियम 103 : आदेश की घोषणा

(1) अपील अधिकरण, आवेदक और प्रत्यर्थी को सुनने के पश्चात्, या तो तुरन्त या उसके पश्चात् यथाशीघ्र, किन्तु अवकाशों या छुट्टियों को छोड़कर अंतिम सुनवाई से तीस दिन के भीतर, आदेश करेगा और उसकी उद्‌घोषणा करेगा।

(2) अपील अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और उस पर मामले की सुनवाई करने वाले और आदेश सुनाने वाले पीठ के अध्यक्ष या सदस्य या सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होगी।

(3) अपील अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की प्रमाणित प्रति पक्षकारों को दी जाएगी।

(4) अपील अधिकरण, आदेश के किसी भी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर या स्वतः पारित आदेश के आधार पर, अपने द्वारा पारित आदेश को प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय को प्रेषित कर सकता है।

(5) प्रत्येक आदेश या निर्णय या नोटिस पर अपील न्यायाधिकरण की मुहर लगी होगी।